जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में सदस्य के रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 29 और 43 के तहत भारत सरकार द्वारा निर्मित उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता भर्ती की पद्धति नियुक्ति की प्रकिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 6 (1) के अंतर्गत प्रकिया का निर्धारणः–

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोगों में सदस्य के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 08.फरवरी 2021 द्वारा अंगीकृत उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता भर्ती की पद्धति नियुक्ति की प्रकिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 6 के संदर्भ में चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया निम्नानुसार हैः–

1. **रिक्तियां :–**
   आगामी 31 दिसम्बर 2022 तक होने वाली रिक्तियों को शामिल करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्यों के 20 पदों के लिए नियुक्ति किया जाना है।

2. **आवेदन पत्रों का आमंत्रण–**

   2.1 **विज्ञापन** – उपरोक्त रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा देश के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर आवेदकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। उपरोक्त विज्ञापन खाद्य विभाग तथा राज्य उपभोक्ता आयोग की वेबसाईट पर अपलोड कराया जावेगा। विज्ञापन में आवेदन पत्र प्रस्तुति के लिये कम से कम 30 दिन का समय निर्धारित किया जायेगा।

   विज्ञापन में रिक्त पदों को निम्नानुसार दर्शाया जायेगाः–

पदनाम	वर्तमान रिक्तियों / संभावित रिक्तियों की संख्या
सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग	20

   आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरकर सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर **रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग** को प्रेषित किया जावेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र नही होने या अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रो पर विचार नही किया जावेगा।

2.2 आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किया जावेगा –

(अ) सदस्य जिला उपभोक्ता आयोग –

1. आयु के समर्थन में हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी की अंकसूची जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो;
2. शैक्षणिक योग्यता हेतु स्नातक की अंकसूची
3. कार्यक्षेत्र के ज्ञान एवं संबंधित क्षेत्र में नियम में निर्धारित वर्षो के कार्य अनुभव के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र;
4. यदि विधि व्यवसाय के क्षेत्र में कार्य का अनुभव उल्लेखित किया जाता है तो ऐसा प्रमाण पत्र विज्ञापन जारी होने की तिथि के पश्चात् जिला विधिक प्राधिकरण अथवा जिला न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश द्वारा अधिकृत न्यायाधीश द्वारा जारी होना चाहिए ऐसा प्रमाण पत्र विज्ञापन जारी होने के तीन माह पूर्व का होने पर स्वीकार नहीं किया जायेगा;
5. यदि सामाजिक क्षेत्र में कार्य किये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाता है तो ऐसी संस्था पंजीकृत होना चाहिए तथा उपभोक्ता मामले, विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित, प्रबंधन, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकीय, लोकस्वास्थ्य अथवा औषधि में संबंधित पदो के लिये निर्धारित अवधि तक कार्यरत हो;
6. कार्य का अनुभव जिस क्षेत्र में है उसका प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था द्वारा कार्य का अनुभव एवं अवधि स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना आवश्यक है;
7. यदि पूर्व में सेवारत हैं तो अनुभव के समर्थन में प्रमाण पत्र;
8. आवेदन प्रस्तुत किये जाने की तिथि को सेवा में होने पर नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
9. निर्धारित राशि का बैंक ड्राफ्ट ।

2.3 <u>आयु सीमा</u>– छत्तीसगढ़ उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम 2020 की कंडिका 3 तथा कंडिका 4 के अन्तर्गत राज्य आयोग के सदस्य एवं जिला आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य पद हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम आयुसीमा, कार्यकाल, और अधिकतम आयुसीमा निम्नानुसार निर्धारित की गयी है:–

पदनाम	न्यूनतम आयु सीमा	कार्यकाल	अधिकतम आयु सीमा
सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग	35 वर्ष	04 वर्ष	65 वर्ष

3. प्राप्त आवेदन पत्रो का परीक्षण, डेटा एंट्री एवं स्क्रूटनी –

रजिस्ट्रार छत्तीसगढ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायपुर को अंतिम तिथि तक प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रो को जिला आयोगो के सदस्य के रूप में जिलेवार श्रेणीकरण कर पृथक–पृथक पंजी में पंजीबद्ध किया जायेगा। निर्धारित समय सीमा में प्राप्त आवेदन पत्रो का परीक्षण करके डेटा एंट्री की जावेगी । डेटा एंट्री के पश्चात विभाग द्वारा गठित स्क्रूटनी समिति द्वारा पुनः आवेदन पत्रो का परीक्षण किया जावेगा तथा निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाये गये आवेदन पत्रो को सूचीबद्ध करके विभाग को प्रस्तुत किया जावेगा।

4. पात्र पाये गये आवेदन पत्रो पर दावा आपत्ति –

स्क्रूटनी समिति द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाये गये आवेदन पत्रो पर विभाग द्वारा दावाआपत्ति आमंत्रित किया जावेगा । प्राप्त दावाआपत्ति के निराकरण उपरांत सूचीबद्ध किये गये आवेदन पत्रो को चयन समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।

5. जिला उपभोक्ता आयोग में सदस्य पद हेतु प्रकिया –

5.1 अर्हता –

क) आवेदक की न्यूनतम आयु पैंतीस (35) वर्ष होना चाहिए।
ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त हो और
ग) क्षमतावान, सत्यनिष्ठापूर्ण और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और उपभोक्ता मामले, विधि लोक मामले, प्रशाासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन, अभियांत्रिकी, प्रौद्यौगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का अनुभव रखता हो।

5.2 नियुक्ति प्रक्रिया –

(अ) साक्षात्कारः–

अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 50 अंक के होंगे, जिनमें से 25 अंक चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा तथा $12^{1/2}$ एवं $12^{1/2}$ अंक समिति के सदस्यों द्वारा दिया जावेगा। समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में निम्नानुसार वरीयता दी जाएगी–

1) प्रथमतः जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठ को वरीयता।
2) द्वितीयतः समान जन्म तिथि होने की स्थिति मे उच्चतम शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी को वरीयता।

ब) पुनर्नियुक्ति के मामले मे–

1. जिला आयोग के सदस्य के पद पर पुनर्नियुक्ति अथवा ऐसे व्यक्ति जो पूर्व में सदस्य रह चुके हैं और जो कि पुनर्नियुक्ति की पात्रता रखते हैं तथा निम्नानुसार आवेदन प्रस्तुत करते हैं, के मामले में उनके चयन का आधार अध्यक्ष, राज्य आयोग द्वारा उनके विगत कार्यकाल के संबंध में दिये गये अभिमत पर विचार करते हुए चयन समिति द्वारा साक्षात्कार उपरांत अनुशंसा करने का निर्णय लिया जायेगा।

2. साक्षात्कारः–

अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 50 अंक के होंगे, जिनमें से 25 अंक चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा तथा $12^{1/2}$ एवं $12^{1/2}$ अंक समिति के सदस्यों द्वारा दिया जावेगा।

8.3 चयनसूची –

चयन समिति द्वारा प्रत्येक पद पर नियुक्ति के लिये दो नामों का पैनल राज्य शासन को प्रेषित किया जाएगा ।

अन्य शर्तें –

1. ऐसा कोई विषय जिसके सम्बंध में उक्त प्रक्रिया में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, वह वहीं होगा जो कि उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियमों में उपबंधित नियुक्ति की प्रक्रिया में उल्लेखित है।
2. अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन में दर्शित जिलों में से एक या एक से अधिक जिलों में रिक्त पदो के लिये आवेदन में प्राथमिकता के आधार पर विकल्प दिया जा सकेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा सीमित मात्रा में विकल्प दिये गये हैं और उन दिये गये विकल्पों में से किसी स्थान पर प्राथमिकता क्रम में नियुक्त किये जाने हेतु वह चयनित नहीं होता तो शेष जिलों, जिन्हें उसने विकल्प में नहीं चुना है, के लिये उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा चाहे वह वरीयता सूची में किसी भी स्थान पर हो। अभ्यर्थी द्वारा चयनित जिलों में नियुक्ति हेतु अनुशंसा करने या न करने का अधिकार चयन समिति को है और इस संबंध में चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।
3. आवेदन में आवेदक द्वारा स्वयं से संबंधित विवरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त निम्न घोषणाएं किया जाना होगा –

3.1) राज्य शासन द्वारा आवेदक को विज्ञापन में दर्शित जिले या आवेदक द्वारा चयनित जिले से भिन्न जिले में नियुक्त किये जाने पर उसे ऐसी नियुक्ति पर आपत्ति नहीं होगी।

3.2) जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्य पद पर नियुक्ति पश्चात् आवश्यकतानुसार सम्बद्ध/अंशकालिक या पूर्णकालिक जिला आयोगों का प्रभार दिया जा सकेगा।

3.3) आवेदक द्वारा चयनित जिले/जिलों में यदि मेरिट अनुसार पद भर जाने या किसी अन्य कारण से आवेदक की नियुक्ति नहीं हो पाती है तो उसे इस संबंध में राज्य शासन का निर्णय स्वीकार होगा।

4. इसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी भी मामले में, आवेदक/उम्मीदवार अभियोजन के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं और/या चयन/नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किये जा सकते हैं :–

(1) यदि वह न्यायिक सेवा या सरकारी या वैधानिक या स्थानीय प्राधिकरण में सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त, हटाया या बर्खास्त कर दिया गया है; या

(2) यदि उसे नैतिक अधमता से जुड़े किसी मामले में दोषी ठहराया गया है; या

(3) यदि उसे संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक आयोग द्वारा परीक्षा या उसके द्वारा आयोजित चयन के लिए स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है; या

(4) यदि उसे छत्तीसगढ़ की बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किसी भी अवधि के लिए दंडित किया गया है; या

(5) यदि उसे अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है; या

(6) यदि वह अपनी उम्मीदवारी के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भर्ती प्राधिकारी का प्रभावित करता है; या

(7) यदि उसके एक से अधिक जीवित पति/पत्नी हैं; या

(8) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(9) यदि वह विकृत दिमाग का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है तो वह आवेदित पद के लिए अयोग्य हो जाएगा; या

(10) उम्मीदवार/आवेदक द्वारा या उसके लिए प्रतिरूपण या अपनी उम्मीदवारी के समर्थन में कोई जाली दस्तावेज बनाना या जमा करना;

(11) यदि वह चयन प्रकिया या नियुक्ति के किसी भी चरण में कोई महत्वपूर्ण जानकारी छुपाता है या कोई गलत जानकारी प्रदान करता है; या

(12) यदि वह साक्षात्कार के दौरान, किसी अधिकारी या कर्मचारी या व्यक्ति को परेशान करता है या धमकी देता है या शारीरिक रूप से चोट पहुंचाता है या दुर्व्यवहार करता है; या

(13) प्रकिया के किसी भी चरण में किसी भी रूप में प्रचार करना भी अयोग्यता होगी। इसी प्रकार, किसी उम्मीद्वार की ओर से प्रभावशाली व्यक्तियों या सरकार के अधिकारियों के माध्यम से अपनी उम्मीद्वारी/चयन/नियुक्ति के लिए समर्थन प्राप्त करने का कोई भी प्रयास भी उसे उम्मीद्वारी/चयन/नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर देगा।